कम्प्यूटर पत्रांक सं0-1718010 दिनांक 24-05-2017

पत्र संख्या विधि –4(1)नियम अधिनियम संशो0/2017–18/ 399 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक :24 मई, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–2, (वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि व्यापारियों/ट्रांसपोर्टरों द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत करके शासन की विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1490/ग्यारह–9(168)/16–उ0प्र0अधि0–5–2008– आदेश –(168)–2016 दिनांक 20–10–2016 द्वारा मेन्था आयल/डीमेन्थलाइज्ड आयल (डीएमओ)/मेन्थाल की रू0 50,000/–अथवा इससे अधिक तथा सुपाडी, आयरन एण्ड स्टील एवं खाद्य तेल की रू0 1.00 लाख अथवा इससे अधिक मूल्य के माल के परिवहन हेतु उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 40 के अधीन विहित प्रपत्र–21 में परिवहन मेमो जारी किये जाने की व्यवस्था का दुरूपयोग किया जा रहा है । शासन द्वारा जारी उपर्युक्त विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी वाहन में रू0 50,000/– अथवा इससे अधिक मूल्य के मेन्था आयल/डीमेन्थलाइज्ड आयल (डीएमओ)/मेन्थाल तथा रू01.00 लाख अथवा इससे अधिक मूल्य की सुपाडी, आयरन एण्ड स्टील एवं खाद्य तेल का परिवहन किया जा रहा है तो माल के परिवहन हेतु प्रपत्र 21 में परिवहन मेमो जारी करने तथा माल के परिवहन के समय प्रपत्र–21 को रखे जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जबकि व्यापारियों/ट्रांसपोर्टरों द्वारा करापवंचन के उद्‌देश्य से एक ही वाहन में रू0 50,000/– से कम मूल्य के कई इन्वायस के माध्यम से रू0 50,000/– से अधिक मूल्य के मेन्था आयल/डीमेन्थलाइज्ड आयल (डीएमओ)/मेन्थाल की रू0 1.00 लाख से कम मूल्य के कई इन्वायस के माध्यम से रू0 1.00 लाख से अधिक मूल्य की सुपाडी, आयरन एण्ड स्टील एवं खाद्य तेल का परिवहन किया जा रहा है, जो कि परिवहन मेमो जारी किये जाने की मंशा के विपरीत है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि रोड चेकिंग के दौरान यदि किसी वाहन में प्रपत्र–21 (परिवहन मेमो) से संबंधित माल का परिवहन किया जा रहा है और परिवहित माल का मूल्य मेन्था आयल/डीमेन्थलाइज्ड आयल (डीएमओ)/मेन्थाल के मामले में रू0 50,000/– तथा सुपाडी, आयरन एण्ड स्टील एवं खाद्य तेल के मामले में रू0 1.00 लाख से अधिक हो तो ऐसे वाहन को रोक कर नियमानुसार अभिग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये । यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा उपरोक्तानुसार करापवंचन के उद्‌देश्य से माल का परिवहन किया जा रहा है तो यह ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह विभाग में पंजीयन प्राप्त कर प्रपत्र–21 (परिवहन मेमो) डाऊन लोड कर माल का परिवहन करे ।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित व्यवस्था का गलत विवेचन (Interpretation) करके एक ही वाहन में विज्ञप्ति में निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के कई इन्वायस के माध्यम से मेन्था आयल/डीमेन्थलाइज्ड आयल (डीएमओ)/मेन्थाल के मामले में रू0 50,000/– तथा सुपाडी, आयरन एण्ड स्टील एवं खाद्य तेल के मामले में रू0 1.00 लाख से अधिक मूल्य के परिवहन किये जा रहे माल की जांच करके माल के अभिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी है , उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें ।

23/05/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।